संशोधन

संख्या– /XVIII(2)/2018-18(74)/2017

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादून दिनांक 09 अप्रैल, 2018**

विषयः–अक्षयपात्र संस्था के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना के अर्न्तगत केन्द्रीय किचन प्रणाली संचालित किए जाने हेतु अक्षय पात्र फाण्डेशन के पक्ष में आवंटित भूमि की लीज दरों में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनानदेश संख्या–82/XVIII(2)/201818(74)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 द्वारा शिक्षा विभागं में मध्यान्ह् भोजन योजना के अर्न्तगत राज्य में प्रथम चरण हेतु चार जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर में केन्द्रीय किचन प्रणाली के संचालन हेतु अक्षय पात्र फाण्डेशन के पक्ष में शासन द्वारा लीज का निर्णय संसूचित किया गया था। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक–06 फरवरी, 2018 में निम्नलिखित तालिका के कॉलम–2 में उल्लिखित लीज दरों का निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है:–

कमांक	राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित लीज दरें।	संशोधित लीज दरें।
	1	2
1.	प्रति किचन दो से ढाई एकड़ भूमि रू0 1000/– (एक हजार मात्र) प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे/लीज पर दिया जाना।	प्रति किचन दो से ढाई एकड़ भूमि रू0 1000/– (रूपये एक हजार) प्रतिवर्ष, **प्रति एकड़** की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे/लीज पर दिये जाने

2– मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–82/XVIII(2)/201818(74)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3– शासनादेश की अन्य शेष समस्त प्राविधान एवं शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या– 536 /XVIII(2)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 27 मार्च, 2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
3– सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल।
5– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।